

उपख  
रूपनगद (

1-7 श्रमपत्रावली पेश कुटी अमचण्ड के वकील



उपस्थित। जवाब हेतु समय-चाहा। समय  
 दिया जाकर परावली दिनांक 22-7-22 को  
 पेश हो। पुनश्च पार्थी सं. 2 व 3 ने प्रार्थना-पत्र  
 अर्न्तगत धारा 151 C.P.C. वारंसे प्रार्थना-पत्र  
 को विद्वा करने बाबत पेश किया। प्रस्तुत पत्र  
 पत्र अनुसार उक्त प्रकरण को प्राथमिक अव  
 आगे चलाना नहीं चाहते हैं तथा उक्त प्रकरण  
 में कौई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं पार्थी  
 सं. 2 व 3 स्वयं उपस्थित। पार्थी सं. 2 व 3 ने  
 पहचान स्वरूप आधार कार्ड की स्व प्रमाणित  
 पार्थी पेश की। प्राथमिक की पहचान वकील  
 पार्थी द्वारा की गयी।

कलम 22  
 वृत्तमोहन

Not  
 पेश  
 श्री

हमने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अव-  
 लोकन किया ~~है~~ एवं उपस्थित प्राथमिक  
 को सुना। चूंकि प्राथमिक द्वारा उक्त प्रकरण  
 में कौई कार्यवाही नहीं-वाही जा रही थी  
 अतः प्राथमिक का प्रार्थना-पत्र खारिज  
 किया जाता है।

परावली फ़ैसल अनुसार होकर  
 नम्बर से कम हो।

  
 उपखण्ड अधिवक्ता  
 लखनऊ (अवसर)